(7)

# –: निविदा प्रपत्र :–

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, केन्द्रीय कार्यशाला, देसुरिया विश्नोइयां, नागौर रोड़, जोधपुर

क्रमांक :–CPM/JDP/Fin./25/ दिनांकः

**मुख्य उत्पादन प्रबंधक**
**राजस्थान परिवहन निगम,**
**केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर।**

**विषय :– राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर में इलेक्ट्रीक एसेम्बलीज रिवाईडिंग करने का कार्य करने बाबत्।**

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर में को आर. सी. करने का कार्य करवाने के संबंध में निम्नानुसार बोली प्रपत्र प्रेषित है । बोली–प्रपत्र की फीस राशि 590/– मय जी.एस.टी. (नॉन रिफण्डेबल) रसीद संख्या ....................................................दिनांक..............................

**नोटः– निविदा प्रपत्र दिनांक दिनांक 20.03.2025 को 13:00 बजे तक इस कार्यालय में प्राप्त किये जायेगे एवं प्राप्त निविदायें उसी दिन 14.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष खोली जावेगी।**

<u>सामान्य विवरण</u>

| | | |
|---|---|---|
| 1 | फर्म का नाम | |
| 2 | फर्म का स्थाई पता | |
| 3 | फर्म का दूरभाष न./ मोबाईल न./ई–मेल | |
| 4 | फर्म का पत्र व्यवहार का पता | |
| 5 | फर्म का जी.एस.टी. नम्बर | |
| 6 | फर्म का पेन कार्ड न. मय फोटो प्रति | |
| 7 | फर्म का द्वारा फार्म हेतु निगम कोष में बोली प्रपत्र की फीस ( मुख्य उत्पादन प्रबंधक, केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर) में जमा करायी राशि 590/ रुपये की रसीद/डी.डी. नम्बर व दिनांक | |
| 8 | डी.डी. नम्बर व दिनांक सुरक्षा राशि 10000/– (मुख्य उत्पादन प्रबंधक, केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर) | |
| 9 | **प्रस्तावित दर मय GST प्रति नग आर.सी. की राशि**<br>1. सेल्फ आर्मेचर रिवाईडिंग<br>2. फिल्ड कोयल रिवाईडिंग<br>3. अल्टरनेटर स्टेटर रिवाईडिंग<br>4.अल्टरनेटर रोटर रिवाईडिंग | |

1. कार्य (Scope of Work )
निम्नलिखित सूची व विवरण अनुसार विभिन्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैः–

| **क.स.** | **कार्य का नाम** | **कार्य की मात्रा अनुमानित** | **निविदा कि अनुमानित लागत (लाख में)** |
|---|---|---|---|
| 1. | सेल्फ आर्मेचर रिवाइडिंग | 195 | 5.00 |
| 2. | फिल्ड कोयल रिवाइडिंग | 195 | |
| 3. | अल्टरनेटर स्टेटर रिवाइडिंग | 195 | |
| 4. | अल्टरनेटर रोटर रिवाइंडिंग | 145 | |

2. पात्रता व मूल्यांकन मापदण्ड ( Eligibility and Evaluation Criteria)

(i) सेवा प्रदाता हेतु पात्रता के निर्धारित मापदण्ड (Eligibility criteria for service provider )

सेवा प्रदाता के पास जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एव सेवाप्रदाता के पास संबंधित निविदा में कार्य का न्यूनतम एक वर्ष का उचित अनुभव होना चाहिए। यदि निविदादाता जी. एस.टी. के दायरें में नहीं आता है तो निविदा प्रपत्रों के साथ शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ii) मूल्याकंन मापदण्ड ( Evaluation Criteria )

वित्तीय निविदा में दी गई न्यूनतम दर ही मूल्याकंन का मापदण्ड होगी।

3. निविदादाताओं को निर्देश (Instruction to bidder)

(I) सुरक्षा राशि

सुरक्षा राशि अनुबन्ध के सफलतापूर्वक खत्म/पूरा होने के पश्चात लौटाई जावेगी। सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

(ii) यदि फर्म द्वारा आशय–पत्र (LOI) जारी होने के 15 कार्य दिवस के भीतर कार्य प्रारंभ/अनुबंध नहीं किया जाता है तो बिड सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।

(ii) Code of Integrity

आर.टी.पी.पी. एक्ट के प्रावधानों व वर्णित नियमों के अनुसार

(IV) Conflict of Interest

आर.टी.पी.पी. एक्ट के प्रावधानों व वर्णित नियमों के अनुसार

(V) सेवा के दौरान शिकायत निवारण (Grievance Handling Procedure during service)

आर.टी.पी.पी. एक्ट में के प्रावधानों व वर्णित नियमों के अनुसार

(i) प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद नाम :– कार्यकारी निदेशक (यात्रिंक)

(ii) द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पद नाम :– प्रबंध निदेशक

4. **जोखिम क्रय उप नियम (Risk Purchase Clause)**

यदि अनुबंधकर्ता द्वारा उपरोक्त इलेक्ट्रीक एसेम्बलीज रिवाईडिंग संबंधी कार्य निर्धारित समयावधि में या निगम की मांग के अनुसार नहीं करता है एवं निगम को अपना कार्य सुचारु रुप से चलाने हेतु यदि किसी अन्य फर्म ये उक्त कार्य करवाना पडे तो अन्तर राशि की कटौती उसके बकाया भुगतान या सुरक्षा राशि से कर ली जावेगी।

5. **भुगतान (Payment)**

अनुबंधकर्ता द्वारा किये गये इलेक्टीक एसेम्बलीज रिवाईडिंग संबंधी  कार्य संबंधी कार्य के बदले भुगतान 30 कार्य दिवस में किया जावेगा। इस से अधिक देरी होने पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।

6. निविदा प्रपत्र एवं अन्य प्रपत्र जो निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत करने है :–

(i) MANDATORY DOCUMENTS

1. टेण्डर फीस की डी.डी./रसीद

2. सुरक्षा राशि 10000/– रु. की डी.डी./रसीद

(ii) NECESSARY DOCUMENTS

1. टेण्डर नियम एवं शर्तें (हस्ताक्षरित)

2. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रपत्र(प्रतिलिपि)/शपथ पत्र

## —: निविदा के नियम एवं शर्तें:—

इलेक्ट्रीक पार्ट्स रिपेयर कार्य जॉब बेसिस पर तैयार करने की निविदा की शर्ते/कार्य निम्नानुसार है :—

1. निविदादाता को जॉब बेसिस के सम्पूर्ण कार्य केन्द्रीय कार्यशाला परिसर में केन्द्रीय कार्यशाला द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की देख रेख में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निष्पादित करना होगा। आवश्यक होने पर ही कुछ कार्य उत्पादन प्रबन्धक की स्वीकृति से केन्द्रीय कार्यशाला परिसर से बाहर निष्पादित होंगे।

2. निविदादाता को निगम द्वारा आवंटित कार्य हेतु औजार एवं अन्य आवश्यक संसाधन अपने कामगारों को अपने स्तर पर उपलब्ध करवाने होंगे।

3. निविदादाता को उपरोक्त इलेक्ट्रीक एसेम्बलीज रिवाईडिंग कार्यो को करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ सलंग्न करना अनिवार्य हैं। बिना अनुभव प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. निगम द्वारा केवल पुरानी असेम्बली उपलब्ध करवायी जायेगी एवं पुरानी असेम्बली को तैयार करने हेतु समस्त सामान की व्यवस्था निविदादाता द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी। निविदादाता द्वारा इन्हें स्वीकृत समय में रिवाइन्ड करके देना होगा। कार्य में लगने वाले संभावित समय का निर्धारण केन्द्रीय कार्यशाला समिति द्वारा किया जायेगा।

5. अनुबंधकर्त्ता को जॉब बेसिस के विभिन्न कार्य से जुड़े समस्त आवश्यक उपकरण व औजार, टेस्ट बैच इत्यादि रखने होंगे साथ ही आवश्यकतानुसार सभी विशेष उपकरण मशीनें इत्यादि जो आवश्यक है स्वयं के खर्चे पर व्यवस्था करनी होगी, साथ ही समस्त मशीन कार्य भी स्वयं के स्तर पर केन्द्रीय कार्यशाला में अथवा उत्पादन प्रबन्धक के निर्देशानुसार स्थानीय बाजार से करवाने होंगे।

6. कार्य के दौरान मशीनरी/पार्ट्स को लोड/अनलोड करने का कार्य अनुबंधकर्त्ता को स्वयं के स्तर पर ही करना होगा।

7. अनुबंधकर्त्ता को अपने प्रस्ताव के साथ निर्धारित कि.मी. गारन्टी/अवधि गारन्टी संलग्न सूची अनुसार अंकित करनी होगी, उक्त गारन्टी से पहले कोई मरम्मत अथवा असेम्बली फेल होती है तो अनुबन्ध कर्ता को इसे पुनः निःशुल्क (Free of cost ) रिपेयर करके देना होगा। बार—बार फेल होने पर सम्बन्धित केन्द्रीय कार्यशाला समिति को कार्यादेश रद्द करने का अधिकार होगा।

अनुबन्धकर्ता द्वारा किये गये आर.सी. सम्बन्धी कार्य की नियमानुसार गारन्टी होगी :—

| क.सं. | कार्य का नाम | गारन्टी |
|---|---|---|
| B | **इलेक्ट्रीकल पार्ट्स रिपेयर कार्य** | |
| 1 | सेल्फ आर्मेचर रिवाइन्डिंग | छः माह अवधि अथवा 20,000 कि.मी. (जो भी पहले हो) |
| 2 | अल्टरनेटर स्टेटर रिवाइन्डिंग | छः माह अवधि अथवा 20,000 कि.मी. (जो भी पहले हो) |
| 3 | फील्ड कॉयल रिवाइन्डिंग | छः माह अवधि अथवा 20,000 कि.मी. (जो भी पहले हो) |
| 4 | अल्टरनेटर रोटर रिवांइडिंग | छः माह अवधि अथवा 20,000 कि,मी, (जो भी पहले हो) |

8. फिल्ड कॉइल की रिवाईडिंग करते समय थर्मास्टेट आवश्यक रूप से लगायेगे।

9. अनुबन्धकर्ता को कार्य समाप्ति पर सभी प्रकार की अनावश्यक स्पेयर, कचरा, उपकरण इत्यादि को हटाकर निर्धारित स्थान पर डालना होगा व कार्यस्थल को सही स्थिति में रखना होगा।

10. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निगम को होगा।

11. अनुबंधकर्त्ता अनुबन्ध निर्धारित अवधि से पूर्व समाप्त करना चाहता है तो उसे तीन माह का नोटिस देना आवश्यक होगा अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

12. अनुबंधकर्त्ता (फर्म) द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले तकनीकी कर्मचारी सद्व्यवहारी एवं ईमानदार होंगे तथा इनके आचरण एवं कार्य हेतु अनुबन्धित फर्म पूर्ण उत्तरदायी रहेगी। यदि फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता की जाती है तो निगम द्वारा इस सम्बन्ध में नोटिस जारी करने पर फर्म को तुरन्त सम्बन्धित कर्मी को हटाना होगा तथा अनुबन्धित फर्म के कर्मचारी के किसी कार्य से निगम को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है तो उसकी वसूली भी सम्बन्धित फर्म से की जायेगी।

13. अनुबंधकर्त्ता (फर्म) के द्वारा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करने तथा आवंटित मेन्टीनेन्स कार्य संतोषप्रद न पाये जाने पर अनुबन्ध समाप्त करते हुए प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है।

14. कार्य के दौरान हुई किसी भी सामान की टूट—फूट की जिम्मेदारी अनुबंधकर्त्ता की होगी एवं कार्य के दौरान हुई किसी भी दुर्घटना में अनुबंधकर्त्ता के आदमी को हुई हानि/चोट के लिये अनुबंधकर्त्ता स्वयं जिम्मेदार होगा। निगम किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नही होगा।

15. अनुबंधकर्त्ता द्वारा यदि कार्य हेतु आवश्यक श्रमिक किन्ही कारणों से उपलब्ध नहीं कराये जाते है एवं इससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो अनुबन्ध कर्ता से देरी से किये गये कार्य की लागत का 05(पांच)प्रतिशत प्रति 15 दिवस की दर से शास्ति राशि वसूल की जावेगी एवं इस सम्बन्ध में किसी भी विवाद को केन्द्रीय कार्यशाला समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। जिसका निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

16. अनुबंधकर्त्ता के कामगारों को कार्यशाला समय में ही कार्य करना होगा एवं कार्यशाला सुरक्षा मापदण्डों व नियमों का पालन करते हुए पूर्ण अनुशासन से कार्य करना होगा। अनुबंधकर्त्ता द्वारा निविदा से सम्बन्धित कार्य किसी को सब्लेट नही किया जा सकेगा। ऐसा पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

17. निविदादाता के अपने पैन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर, भविष्य निधि व कर्मचारी बीमा रजिस्ट्रेशन एवं श्रम अनुज्ञा पत्र, निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे। यदि कोई प्रपत्र अथवा पंजीयन सम्बन्धित निविदादाता के दायित्व मे नहीं हो तो इसके लिए निविदादाता एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

18. अनुबंधकर्त्ता अपने अधीन कार्यरत कामगारों को देय भुगतान में से नियमानुसार भविष्य निधि एवं राज्य कर्मचारी बीमा राशि काट कर सम्बन्धित विभाग में जमा करायेंगे एवं इसके जमा कराने का चालान इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यदि निविदादाता अपने कर्मचारियों को देय भुगतान पर नियमानुसार भविष्य निधि एवं राज्य कर्मचारी बीमा की राशि की गणना कर उसकी अनुसूची अपने बिल के साथ प्रस्तुत करेगा। निगम उसकी अनुसूची के अनुरूप भविष्य निधि एवं राज्य कर्मचारी बीमा की राशि अनुबंधकर्त्ता के भुगतान से काट कर सम्बन्धित विभाग में जमा करायेगा।

19. निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त कार्य अस्थाई है एवं आवश्यकतानुसार करवाये जाने है। निविदादाता कार्य आवंटन की मात्रा के लिए रापनि को बाध्य नही कर पायेंगे एवं उसके कामगारों को निगम में स्थाई सेवा एवं अन्य किसी भी प्रकार की सुविधा का अधिकार देय नही होगा। सफल निविदादाता को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा एवं निर्धारत आयु से कम आयु का कोई कर्मचारी नही रखना होगा। उक्त नियमों की अवहेलना की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

20. निविदादाता को अपने अधीन कार्यरत कामगारों को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। इसमें कोई शिथिलता होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

21. निविदादाता को देय भुगतान में से नियमानुसार समस्त करो की कटौती की जायेगी।

22. निविदादाता को नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। जिसे गारन्टी अवधि समाप्ति के उपरान्त लौटा दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।

23. निविदा अनुबन्ध एक वर्ष के लिए मान्य होगा परन्तु निविदादाता का कार्य संतोषप्रद नही पाये जाने पर अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

24. भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत करने होंगे। जिनके प्रमाणीकरण उपरान्त हीं राशि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

25. किसी विशेष परिस्थिति के कारण कार्य निलम्बित रहने के कारण अनुबन्धकर्ता को यदि अतिरिक्त व्यय होता है तो उसका कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा।

26. आवश्यक होने पर कार्य की मात्रा को आर.टी.पी.पी. एक्ट के प्रावधानानुसार बढाया जा सकेगा।

27. टेंडर के सम्बंध मे किसी भी प्रकार का विवाद हाने पर निम्न प्रावधान लागु होगा।

(i) Dispute Resolution: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to,the construction,meaning scope,operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be reso;ved by-referring such dispute or difference to the standing committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Coropration's office Order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017.The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.

(ii) Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the tenders/contract/agreements issued by the corporation shall be filed in the competent court located in jaipur.

28. अनुबंध के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायलय का क्षेत्राधिकार जिला जोधपुर होगा।

**ठेकेदार के हस्ताक्षर मय मोहर**

**मुख्य उत्पादन प्रबन्धक**
**केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर**